इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-899-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस., कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 12 से 24 अगस्त 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. आर. मोहंती, भाप्रसे., (1982) विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म. प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2013 तक,

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10, 11 एवं 17, 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहंती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहंती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-771-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगौन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2013 द्वारा दिनांक 27 मई 2013 से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25, 26 एवं 8, 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 31 मई से 22 जून 2013 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-832-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., सचिव 'कार्मिक' मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव 'कार्मिक' मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-778-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1995), आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दिनांक 2 से 14 अगस्त 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे. (2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 11 से 20 सितम्बर 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-5-07-2013-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 22-4-2013 से दिनांक 26-4-2013 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21-4-2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2013 द्वारा दिनांक 18 से 23 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव ''कार्मिक''.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. एफ-9-2-2008-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-2-99-ब-सोलह, दिनांक 5 फरवरी 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 68-2011-ब-2-दो.—(1) श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को दिनांक 2 जुलाई से 30 सितम्बर 2013 तक, कुल तीन माह का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कुष्पावेती देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कुष्णावेती देसावतु, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए)271-1986-ब-2-दो.—श्री अशोक दोहरे, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक सायबर सेल, पु. मु., भोपाल के परिवार के निम्नलिखित सदस्य को दिनांक 20 जून 2013 से 15 जुलाई 2013 तक की अवधि राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् ''मुम्बई'' अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्रीमती नीता दोहरे, - पत्नी
2. कु. प्रतिभा अंजलि दोहरे - पुत्री
3. कु. अनुपंमा अंजलि दोहरे, - पुत्री

उपर्युक्त अवकाश यात्रा के लिये 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1(बी)-02-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामनारायण गर्ग पुत्र स्व. श्री किशोरी लाल गर्ग, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री रामनारायण गर्ग की जन्म तिथि 15 अगस्त 1967 (पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सढ़सठ) है और उनकी दिनांक 14 अगस्त 2029 (चौदह अगस्त दो हजार उन्तीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-02-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा नियुक्त श्री नरोत्तम लाल चौरसिया, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, दमोह के कार्यकाल दिनांक 28 मई 2013 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 29 मई 2013 से दिनांक 28 मई 2016 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है, कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री नरोत्तम लाल चौरसिया की जन्म तिथि 1 मई 1966 (एक मई उन्नीस सौ छियासठ) है और उनकी आयु दिनांक 30 अप्रैल 2028 (तीस अप्रैल दो हजार अट्ठाईस) को 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-02-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्णकान्त खरे पुत्र श्री राधिका प्रसाद खरे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री कृष्णकान्त खरे की जन्म तिथि 9 मई 1970 (नौ मई उन्नीस सौ सत्तर) है और उनकी दिनांक 8 मई 2032 (आठ मई दो हजार बत्तीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-02-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मुकेश जैन पुत्र स्व. श्री कुंदनलाल जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री मुकेश जैन की जन्म तिथि 5 जून 1971 (पाँच जून उन्नीस सौ इकत्तर) है और उनकी दिनांक 4 जून 2033 (चार जून दो हजार तैंतीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

फा. क्र. 1(बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री संजय कुमार शर्मा की जन्म तिथि 30 सितम्बर 1971 (तीस सितम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर) है और उनकी दिनांक 29 सितम्बर 2033 (उन्तीस सितम्बर दो हजार तैंतीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रविन्द्र कुमार मुदगल पुत्र श्री प्राणेश कुमार, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री रविन्द्र कुमार मुदगल की जन्म तिथि 6 जुलाई 1971 (छः जुलाई उन्नीस सौ इकहत्तर) है और उनकी दिनांक 5 जुलाई 2033 (पांच जुलाई दो हजार तैंतीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 2013

फा. क्र. 2984-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, विभादत्ता माखिजा, स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के त्यागपत्र के फलस्वरूप उनको आवंटित सिविल कार्य एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संबंधित कार्य श्री सी. डी. सिंह, स्थाई अधिवक्ता एवं आपराधिक से संबंधित कार्य श्री सौरभ मिश्रा, स्थाई अधिवक्ता, नई दिल्ली को एतद्द्वारा सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

फा. क्र. 2984-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2002 द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद पर नियुक्त विभा दत्ता माखिजा, अधिवक्ता द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद से प्रस्तुत त्यागपत्र आवेदन प्रस्तुति दिनांक 4 सितम्बर 2013 से एतद्द्वारा स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव, वास्ते प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ 2-5-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 240 के अंतर्गत मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007 के नियम 2 प्रतिबंधित स्थलों तक सीमित है.

(2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 241 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन, 2007 के नियम 5 के प्रावधान वन सीमा से लगे अधिसूचित ग्रामों तक सीमित है.

उक्त संहिता के प्रावधान से भिन्न शेष क्षेत्रों के लिये अनुमति संहिता के उक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक नहीं है.

(3) यदि निजी धारकों की भूमि पर वृक्ष खड़े हैं तो उन्हें गिरदावरी के समय खसरे में वृक्ष की प्रजाति के उल्लेख के साथ अंकित किया जाए.

यह निर्देश संहिता से भिन्न अन्य अधिनियम/नियम या विनियमन पर लागू नहीं होंगे. राजस्व अधिकारी वृक्ष कटाई के संबंध में प्रचलित अधिनियम/नियम या विनियमन का पालन करेंगे.

कमला अजीतवार, अवर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005-चौदह-3, भोपाल दिनांक 20 अगस्त 2013 जो राजपत्र में दिनांक 23 अगस्त 2013 प्रकाशित हुई है, को अधिक्रमित करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005-चौदह-3, दिनांक 12 जुलाई 2012 जो राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 2012 प्रकाशित हुई है, की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, चना, मसूर एवं मटर/बटरा/बठरी, जो कि विदेशों से एवं या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट दिनांक 23 अगस्त 2013 से आगामी एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 10 September 2013

No. D-15-11-2005-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, rescind this departments notification No. D-15-11-2005-XIV-3, dated 20th August 2013 published in the "Gazette" on dated 23rd August 2013 and thereafter, subject to the conditions specified in this departments notification No. D-15-11-2005-XIV-3, dated 12th July 2012 published in the "Gazette" on dated 20th July 2012 exempt, notified agricultural produce Urad/Urda, Mung, Tuar/Arhar, Chana, Masoor and Mattar/Batra/Batri from payment of whole market fee payable under the said Act, which is brought from foreign and or out of the state for processing by the Dal-Mills extablished in the market area.

This notification for exemption from payment of market fee shall come in force after its publication in "Gazette" w.e.f. 23rd August 2013 for a period of only one year.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. K, TRIPATHI, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 2071-6-14-13-पचास-2-क्र. 1263-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	मंदसौर	मंदसौर	1. श्री बृजेश जोशी	सदस्य
			2. श्रीमती सावित्री पोरवाल	सदस्य

No. 2071-6-14-13-L-2-No. 1263-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section-4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby Constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mandsaur	Mandsaur	1. Shri Brijesh Joshi	Member
			2. Smt. Savitri Porwal	Member

क्र. 2071-6-14-पचास-2-13-क्र. 1263-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	मंदसौर	मंदसौर	1. श्री रविन्द्र रामावत	अध्यक्ष
			2. श्री राजेश मेंड़तवाल	सदस्य
			3. श्री संजय जैन	सदस्य
			4. श्रीमती सचिता शिन्दे	सदस्य
			5. श्री देशबन्धु आर्य	सदस्य.

No. 2071-6-14-L-2-No. 1263-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section-29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000, the State Government hereby Constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Worker as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mandsaur	Mandsaur	1. Shri Ravindra Ramawat	Chair person
			2. Shri Rajesh Medatwal	Member
			3. Shri Sanjay Jain	Member
			4. Smt. Sachita Shinde	Member
			5. Shri Deshbandhu Arya	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

खेमराज माहौर, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक) 3513-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 38, 39 एवं 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"16.	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल.	श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
38	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, ग्वालियर.	श्री संजय चतुर्वेदी, VIth अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
39	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.	श्री हरीश कुमार कौशिक, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
51	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9, जबलपुर.	श्री गोविन्द सिंह काकोडिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर".

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3513-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 16, 38, 39, and 51 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"16.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 2, Bhopal.	Shri Kirti Kumar Verma, Additional Sessions Judge, Bhopal.
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.	Shri Sanjay Chaturvedi, VIth Additional Sessions Judge, Gwalior.
39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4, Gwalior.	Shri Harish Kumar Kaushik, Additional Sessions Judge, Gwalior.
51.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9, Jabalpur.	Shri Govind Singh Kakodia Additional Sessions Judge, Jabalpur.

फा.क्र. 17(ई) 2013-इक्कीस-ब(एक).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय गठित करती है. उक्त न्यायालय की अध्यक्षता उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बालाघाट	श्री पी. सी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट.
2.	बड़वानी	श्री डी. एस. सौलंकी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) अधिनियम, बड़वानी.
3.	बैतूल	श्री पी. के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बैतूल.

(1)	(2)	(3)
4.	भिण्ड	श्री दीपक अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भिण्ड.
5.	भोपाल	श्री वी. के. पांडे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.
6.	छतरपुर	श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
7.	छिंदवाड़ा	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिंदवाड़ा.
8.	दमोह	श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
9.	दतिया	श्री भरत सिंह ओहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.
10.	देवास	श्रीमती रेणूका कंचन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास
11.	धार	श्री आनंद के. तिवारी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार
12.	खण्डवा (पूर्व निमाड़)	श्री जी. एस. दुबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, खण्डवा (पूर्व निमाड़).
13.	गुना	श्री आर. पी. मनकेलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना
14.	ग्वालियर	श्री अजित सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
15.	हरदा	श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
16.	होशंगाबाद	श्री योगेश दत्त शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद
17.	इंदौर	श्री पी. के. सिन्हा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर
18.	जबलपुर	श्रीमती ममता जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
19.	झाबुआ	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम झाबुआ.
20.	कटनी	श्री जे. आर. बच्चन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी
21.	मंडला	श्री पी.सी. गुप्ता (सीनियर) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंडला.
22.	मंदसौर	श्री ए. के. तिवारी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर.
23.	मुरैना	श्री राजवर्धन गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना

(1)	(2)	(3)
24.	नरसिंहपुर	श्री एस. सी. तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नरसिंहपुर.
25.	नीमच	श्री वी. एल. झा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नीमच.
26.	पन्ना	श्री महादेव मुवेल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.
27.	रायसेन	श्री उमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन
28.	राजगढ़	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़.
29.	रतलाम	श्री भागचंद मलैया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.
30.	रीवा	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा
31.	सागर	श्री अनिल कुमार सोहने, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर
32.	सतना	श्री संजय शुक्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना
33.	सीहोर	श्री डी. के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवरण) अधिनियम, सीहोर.
34.	सिवनी	श्री शंभू सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, सिवनी.
35.	शहडोल	श्री अमरनाथ (केशरवानी) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल
36.	शाजापुर	श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.
37.	श्योपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (जूनियर), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
38.	शिवपुरी	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी
39.	सीधी	श्री जगदीशचन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी.
40.	सिंगरौली, बैढ़न	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली, बैढ़न
41.	टीकमगढ़	श्री जे. एस. कटारिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़.
42.	उज्जैन	श्री जी. एस. सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
43.	विदिशा	श्री आर. बी. गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा

(1)	(2)	(3)
44.	मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़)	श्री बी. के. जाटव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़)
45.	अलीराजपुर	श्री रामप्रकाश शरन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर
46.	अनूपपुर	श्री दीपक गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
47.	अशोकनगर	श्री के. सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर
48.	बुरहानपुर	कु. सुनीता सिरिल बारलो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
49.	डिण्डोरी	श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
50.	उमरिया	श्री सी. पी. वर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

NOTIFICATION

F-No. B (1) 3476-2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, constitute the Special courts specified in column (2) of the table below, for the trial of offences under any of all the enactment specified in the schedule of the said Act and the said court shall be presided by the Judge specified in column (3) thereof, namely :—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
1.	Balaghat	Shri P. C. Sharma, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Balaghat.
2.	Barwani	Shri D. S. Solanki, Specil Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Barwani.
3.	Betula	Shri P. K. Mishra, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Betul.
4.	Bhind	Shri Deepak Agrawal, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Bhind.
5.	Bhopal	Shri V. K. Pandey, IInd Additional Judge to the Court of Ist Additional Session Judge, Bhopal.
6.	Chhatarpur	Shri Krishna Murty Mishra, Additional Session Judge, Chhatarpur.
7.	Chhindwara	Shri Rajeev Kumar Shrivastava (Jr.) Special Judge, Schedule Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Chhindwara.
8.	Damoh	Shri M. C. Soni, Additional Session Judge, Damoh.
9.	Datia	Shri Bharat Singh Ohariya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (prevention of Atrocities) Act, Datia.
10.	Dewas	Smt. Renuka Kanchan, Ist Additional Session Judge, Dewas

(1)	(2)	(3)
11.	Dhar	Shri Anand K. Tiwari, Additional Session Judge, Dhar.
12.	E. N. Khandwa	Shri G. S. Dubey, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Khandwa (East Nimar).
13.	Guna	Shri R. P. Mankeliya, Additional Session Judge, Guna.
14.	Gwalior	Shri Ajit Singh, Additional Sessions Judge, Gwalior.
15.	Harda	Shri Anil Kumar Mohania Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Harda.
16.	Hoshangabad	Shri Yogesh Dutta Shukla, Additional Session Judge, Hoshangabad.
17.	Indore	Shri P. K. Sinha, Additional Session Judge, Indore.
18.	Jabalpur	Smt. Mamta Jain, Additional Sessions Judge, Jabalpur.
19.	Jhabua	Shri Arvind Kr. Shrivastava, (Jr.) Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Jhabua.
20.	Katni	Shri J. R. Bacchan, Additional Sessions Judge, Katni.
21.	Mandla	Shri P. C. Gupta, (Sr. Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandla.
22.	Mandsaur	Shri A. K. Tiwari, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Mandsaur.
23.	Morena	Shri Rajvardhan Gupta, Additional Sessions Judge, Morena.
24.	Narsinghpur	Shri S. C. Thakur, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Narsinghpur.
25.	Neemuch	Shri V. L. Jha, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Neemuch.
26.	Panna	Shri Mahadeo Muvel., Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna.
27.	Raisen	Shri Umesh Ku. Gupta, Additional Sessions Judge, Raisen
28.	Rajgarh	Smt. Vibhawari Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Rajgarh.
29.	Ratlam	Shri Bhagchand Maliya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ratlam.
30.	Rewa	Shri Omkarnath, Additional Sessions Judge, Rewa.
31.	Sagar	Shri Anil Kumar Sohane, Additional Sessions Judge, Sagar.
32.	Satna	Shri Sanjay Shukla, Additional Sessions Judge, Satna.
33.	Sehore	Shri D. K. Mishra, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.
34.	Seoni	Shri Shambhu Singh Raghuwanshi, Special Judge, Seoni.

(1)	(2)	(3)
35.	Shahdol	Shri Amarnath (Kesarwani), Additional Sessions Jadge, Shahdol.
36.	Shajapur	Shri Pawan Kumar Godha Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Shajapur.
37.	Sheopur	Shri Rajendra Prasad Sharma (Jr.), Additional Sessions Judge, Sheopur.
38.	Shivpuri	Shri Ramesh Kumar Shrivastava Additional Sessions Judge, Shivpuri.
39.	Sidhi	Shri Jagdish Chandra Sunhare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Sidhi.
40.	Singrauli Waidhan	Dr. Vijay Kumar Agrawal, Additional Sessions Judge, Singrauli Waidhan.
41.	Tikamgarh	Shri J. S. Kataria, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh.
42.	Ujjain	Shri G. S. Salauja, Additional Sessions Judge, Ujjain.
43.	Vidisha	Shri R. B. Gupta. Additional Sessions Judge, Vidisha.
44.	W.N. Mandleshwar	Shri B. K. Jatav, Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar).
45.	Alirazpur	Shri Ram Prakash Sharan, District & Sessions Judge, Alirazpur.
46.	Anuppur	Shri Deepak Gupta, Additional Sessions Judge, Anoopur.
47.	Ashoknagar	Shri K. C. Garg, District and Sessions Judge, Ashoknagar.
48.	Burhanpur	Ku. Sunita Ciril Barlow, Additional Sessions Judge, Burhanpur.
49.	Dindori	Smt. Anjuli Palo, District and Sessions Judge, Dindori.
50.	Umaria	Shri C. P. Verma, Additional Sessions Judge, Umaria.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his Office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

फा. क्र. 17(ई) 43-2009-3682-इक्कीस-ब(एक)-13.— ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(1), दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 29, 30, 34, 38, 44, 47, 56, 66, 73 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2	श्री अतुल यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	श्री जी. सी. दुबे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
30	श्री राकेश कुमार जैन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	गुना	गुना	गुना	गुना
34	श्री देवीलाल सोनिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
38	श्री विकास चन्द्र मिश्र, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
44	श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर
47	श्री तरुण सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
56	श्रीमती पावस श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1.	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
66	श्रीमती दीपिका मालवीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
73	श्री अनिल कुमार छापरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
85	श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर.".

F. No. 17(E)43-2009-3682-XXI-B(1)/13,—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43/2009/2251/XXI-B(I), dated 10th May, 2013, Namely :

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 2, 29, 30, 34, 38, 44, 47, 56, 66, 73 and 85 and entries

relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2	Shri Atul Yadav, Civil Judge, Class-II.	Jobat	Alirazpur	Jobat	Jobat
29	Shri G. C. Dube, IInd Civil Judge, Class-I and ACJM.	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30	Shri Rakesh Kumar Jain, IIIrd Civil Judge, Class-I and ACJM.	Guna	Guna	Guna	Guna
34	Shri Devilal Soniya, Additional Judge to Civil Judge, Class-I and ACJM.	Harda	Harda	Harda	Harda
38	Shri Vikas Chandra Mishr, IXth Civil Judge, Class-I and ACJM.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
44	Shri Sushil Kumar Joshi, IInd Civil Judge, Class-I and ACJM.	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
47	Shri Tarun Singh, IInd, Civil Judge, Class-I.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
56	Smt. Pawas Shrivastava, IVth Civil Judge, Class-I.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
66	Smt. Dipika Malviya, IInd Civil Judge, Class-I.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
73	Shri Anil Kumar Chhapariya, IInd Civil Judge, Class-I and ACJM.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
85	Shri Dhirendra Singh Mandloi, IInd Civil Judge, Class-II.	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के वर्मा, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. एफ-11-17-2013-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	जबलपुर	सिहोरा	जुआरी	प्राचीन बावड़ी.	ख. नं. 550/1	रकवा क्षेत्र 0.110 है.	निजी	नहीं
मध्यप्रदेश	जबलपुर	मझौली	उमरिया	प्राचीन बावड़ी.	ख. नं. 235	रकवा क्षेत्र 4.34 है.	मध्यप्रदेश शासन आबादी.	नहीं.
मध्यप्रदेश	रीवा	हुजूर	हुजूर	रानी अजब कुवंरि की बावड़ी.	ख. नं. 814	रकवा क्षेत्र 2.161 है.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

क्र. एफ-11-18-2013-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	खरगौन	महेश्वर	ईराकपुरा	कालेश्वर मंदिर.	सर्वे क्र. 51	रकवा क्षेत्र 0.203 है.	कालेश्वर महादेव मंदिर महेश्वर प्रबंध कलेक्टर खरगौन एवं खासगी ट्रस्ट महेश्वर.	हाँ
मध्यप्रदेश	खरगौन	महेश्वर	जालेश्वर	जालेश्वर मंदिर (महेश्वर).	ख. नं. 422, 425 प. ह . नं. 22-19/1.	रकवा क्षेत्र 200×200 फिट 109.38.	व्यवस्थापक कलेक्टर खरगौन.	हाँ
मध्यप्रदेश	खरगौन	महेश्वर	केशव मंदिर चौकड़ी.	केशव मंदिर.	सर्वे नं. 403 आबादी.	रकवा क्षेत्र 150×150 फिट.	व्यवस्थापक कलेक्टर खरगौन.	नहीं
मध्यप्रदेश	इन्दौर	महू	जाम खुर्द छोटी जाम.	तालाब में बावड़ी क्र. 3.	179, 203 239	4.50 0.02 1.49	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12-तीन-977.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन में **सुश्री कुमुद द्विवेदी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 **जुलाई**, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा.-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कुमुद द्विवेदी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री कुमुद द्विवेदी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कुमुद द्विवेदी को सूचना पत्र दिनांक 06 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री कुमुद द्विवेदी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12-तीन-978.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन में **सुश्री इन्द्रवती कोल** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 **जुलाई**, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा.-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री इन्द्रवती कोल** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री इन्द्रवती कोल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री इन्द्रवती कोल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री इन्द्रवती कोल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता./-
(जी.पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12-तीन-979.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन में **सुश्री मीरा दुबे (मुन्नी)** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 **जुलाई**, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 आगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा.-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री मीरा दुबे (मुन्नी)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री मीरा दुबे (मुन्नी)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री मीरा दुबे (मुन्नी) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि सूचना-पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अत: आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री मीरा दुबे (मुन्नी)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12-तीन-980.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन में **श्रीमती लक्ष्मीबाई** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 **जुलाई**, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 आगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा.-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती लक्ष्मीबाई** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती लक्ष्मीबाई** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती लक्ष्मीबाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि सूचना-पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अत: आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को

निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. सूचना-पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती लक्ष्मीबाई** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12-तीन-981.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन में **श्रीमती सविता मिश्रा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न0पा0निर्वा0-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सविता मिश्रा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सविता मिश्रा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती सविता मिश्रा को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि सूचना-पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेख प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सविता मिश्रा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-146-10-तीन-1001.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर** के आम निर्वाचन में **श्री निर्मल दुबे, महापौर** पद के अभ्यर्थी थे. **इस नगरपालिक निगम** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक, **श्री निर्मल दुबे** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री निर्मल दुबे** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री निर्मल दुबे** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **श्री निर्मल दुबे** से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार-अभ्यर्थी **श्री निर्मल दुबे** दिए गए पते पर नहीं मिलने के कारण उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र स्थानीय समाचार-पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 20-3-2013 को प्रकाशित कराया गया. श्री निर्मल दुबे को संबोधित सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु) को भी व्यक्तिश: भृत्य द्वारा प्रदाय कर तामील कराया गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 9-5-13 में प्रतिवेदित किया है कि "सूचना पत्र व्यक्तिश: तामील किये जाने के पश्पात् प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी श्री निर्मल द्वारा तहसील/इस कार्यालय में अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 6-8-13 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **श्री निर्मल** उक्त दिवस को उपस्थित हुए. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री निर्मल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा-14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री निर्मल दुबे** को इस प्रकार चुने जाने के

लिये तथा **नगरपालिक निगम, इन्दौर, जिला इन्दौर** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-1-13-रा. स.-यू. ए.1-981.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-2013-रा. स.-यू. ए.1-823, दिनांक 31 जुलाई 2013 के द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. उक्त समिति में प्रो. सुरंजन दास (कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित एवं समिति के अध्यक्ष), प्रो. एच. देवराज (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित) एवं सुश्री शीला खन्ना (जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित) सदस्य शामिल हैं. समिति पैनल प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित की गई छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल प्रस्तुत नहीं कर सकी है.

2. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिये पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1-4-13-रा. स.-यू. ए.1-998.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :—

1. श्री सुरेश एस. हन्नप्पागोल, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-12.	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.
2. डॉ. उमेश कुमार मिश्र, कुलपति, कामधेनु पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित.
3. श्री एम. एम. उपाध्याय, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.	समिति के सदस्य	राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित.

2. कुलाधिपति के द्वारा श्री सुरेश एस. हन्नप्पागोल को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. 4720-भू.अ.अ.-2012-13-प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	मुहरा	0.08	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह संभाग, दमोह.	बधां-इमलिया-महेबा-रसीलपुर योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
	पटेरा	इमलिया रावत	0.21		
		योग . .	0.29		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 7 मई 2012

क्र. 1851-भू.अ.अ.-2011-12-प्र.क्र. 02अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	मिहगुवां	0.23	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला दमोह.	विनती-मडियादो मार्ग से हिनपटी -काईखेड़ा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		योग . .	0.23		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा, जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	0.333	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग सीहोर.	दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल. एम.-1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	0.435	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग सीहोर.	दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल. एम.-2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	0.092	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग सीहोर.	दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल. एम.-4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 3-अ-82-2010-11.—भू-अर्जन अधिकारी, सिलवानी में सेमरा खास सिंचाई योजना हेतु धारा 4 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को किया गया धारा 4 के प्रकाशन के बाद कुछ तकनीकी कारणों से संशोधन किया जाना उचित समझा गया इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (9) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (11) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (10) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये गये खसरा क्रमांक एवं रकबा			संशोधित जो प्रकाशित होना है (अर्जित की जाने वाली भूमि)			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा क्र.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	खसरा क्र.	कुल रकबा	अर्जित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
रायसेन	सिलवानी	जामनपानी	76	0.531	0.109	76	0.531	0.120	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रायसेन.	सेमरा खास सिंचाई योजना की मुख्य नहर एवं माईनर निर्माण हेतु.
			81	2.043	0.286	81	2.043	0.280		
			77	1.076	0.215	87	0.672	0.080		
			229/109	0.121	0.020	241/94	0.202	0.040		
			230/111	0.498	0.102	53, 55	4.047	0.280		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
रायसेन	सिलवानी	जामनपानी	88/1	0.216	0.041	75	0.870	0.296		
			90/2	0.999	0.238	80	0.918	0.224		
			94/1	0.416	0.062	223/99	0.575	0.088		
			95, 96/1	1.169	0.088	142/1	1.809	0232		
			99/1	1.004	0.102	144/2	0.809	0.120		
			108	0.938	0.162	144/1	3.278	0.270		
			109	0.785	0.028	145	1.747	0.050		
			94/2	0.421	0.062	84,85,86	1.587	0.160		
			99/2	1.003	0.102	92	1.943	0.320		
			79	1.267	0.177	**योग . .**	**19.088**	**2.240**		
			241/94	0.202	0.043					
			28/2, 52, 53, 55, 214/52/1	4.047	0.252					
			54/1	0.247	0.014					
			75	0.870	0.237					
			80	0.918	0.204					
			218/79	0.769	0.190					
			88/2	0.254	0.040					
			90/1	1.214	0.122					
			91	0.733	0.082					
			92	1.943	0.136					
			100	0.858	0.143					
			138, 139/2	1.461	0.136					
			142/2, 141/2, 141/3	1.497	0.036					
			147/1/2	2.023	0.238					
			143	0.462	0.044					
			234/145	1.335	0.096					
		घोघरी	119	0.889	0.130	114	0.275	0.080		
			118	0.376	0.068	113	0.441	0.136		
			110	0.563	0.095	112	1.360	0.224		
			115	0.223	0.055	305/116	1.185	0.032		
			305/116	1.185	0.178	19	2.529	0.080		
			10	0.692	0.092	20	1.595	0.080		
			14	1.886	0.166	21	2.857	0.160		
			15	0.773	0.073	25	2.003	0.240		
			321/9	0.202	0.047	27	3.816	0.040		
			53	0.502	0.026	38 में से	6.069	0.360		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		घोघरी	191	0.837	0.085	29	3.971	0.112		
			33	2.274	0.114	41	0.543	0.032		
			187/2	4.856	0.026	43	0.858	0.240		
			74/1/2	1.93	0.052	44	0.930	0.024		
			314/70	1.578	0.026	45	0.595	0.104		
			278	3.007	0.224	49	1.064	0.240		
			279	0.526	0.057	51/1/5/2	2.023	0.112		
			280	3.254	0.229	51/1/4	2.023	0.120		
			71	1.270	0.120	51/2	3.237	0.380		
			36	0.891	0.042	298/2/6	2.023	0.200		
			74/1/1	1.93	0.052	298/2/1	2.023	0.500		
			73	0.987	0.088	296/2 में से	5.058	0.240		
			72	0.849	0.078	298/2/2	1.147	0.080		
			121	0.604	0.130	191	0.837	0.080		
			9	1.898	0.062	208/2	3.775	0.188		
			318/14	3.946	0.026	210	3.974	0.280		
			23	4.743	0.265	311/237/1, 208/237/1, 311/237/2, 208/237/2 में से.	2.982	0.140		
			74/2	0.303	0.052	240, 241 में से.	4.148	0.160		
			47/1	3.662	0.13	297/1/1	1.890	0.112		
			303/279	1.632	0.146	297/1/2	0.943	0.100		
			295/2	1.303	0.036	295/2	1.303	0.148		
			296/2	5.058	0.546	291/1	1.445	0.112		
			51	17.666	0.208	290/2	3.343	0.080		
						290/1	1.343	0.032		
						289/2	0.518	0.072		
						289/1	2.104	0.140		
						योग . .	**254.656**	**5.292**		
		नारायणपुर	37/1	3.464	0.144	37/1	3.464	0.160		
			36/2	2.832	0.148	36/2	2.832	0.360		
			169/32	1.518	0.064	22/1/2/1	2.000	0.104		
			23/1	2.023	0.120	169/23	1.518	0.208		
			30/2	2.023	0.160	170/32	1.558	0.144		
			30/3	2.023	0.148	32/1 में से	7.236	0.456		
			31	2.063	0.032	28	6.839	0.400		
			28	6.839	0.010	27 में से	1.500	0.450		
			27/1/1	0.750	0.204	59 में से	2.912	0.200		
			27/1/2	0.750	0.204	60	2.100	0.140		
			112/1	8.980	0.052	61	1.036	0.160		
			36/3	2.319	0.076	69/2	1.068	0.096		
						69/4	5.362	0.200		
						योग . .	**39.425**	**3.078**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ककरुआ				144/12	3.213	0.320		
						95 में से	4.046	0.120		
						94	2.533	0.216		
						90/1	1.445	0.064		
						92	5.889	0.148		
						101	3.325	0.100		
						81	0.777	0.024		
						82	0.162	0.088		
						104 में से	6.644	0.100		
						108/1 में से	3.435	0.152		
						108/3	0.486	0.112		
						योग . .	**31.955**	**1.444**		
						महा. योग . .	**341.134**	**12.054**		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 22-अ-82-2010-2011-भू.अ.अ.-जबलपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	कुंगवा प.ह.नं. 34, नं. ब. 499.	3.26	कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बायीं तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स जबलपुर.	पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 6365-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	बरबसपुर	0.243	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	बरूआ नाला परकुलेशन टैंक हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2112-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	देवदही	12.480	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 12.480 हेक्टेरयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2114-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	रानीकाप	6.292	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 6.292 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2116-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	हिनौती	12.740	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 12.740 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2118-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मतहा	4.550	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 4.550 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2120-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	जुड़मानी	2.60	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 2.60 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2122-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खोड़री	14.30	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 14.30 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2124-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	डेंगरहट	3.900	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 3.900 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2126-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मरजादपुर	9.854	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 9.854 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2128-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बिहारगंज	7.020	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 7.020 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2130-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	झिन्ना	1.950	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 1.950 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

नस्ती क्र. 104-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	अटूटखास	2.94	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा के अन्तर्गत अतिरिक्त माईनरों के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 102-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बिहारीपुराकला	0.88	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की फिफराड़ वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 187-2013-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	फिफराड़	0.64	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की फिफराड़ वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 186-2013-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	अटूटखुर्द बेनीपुरा.	3.62	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा की अतिरिक्त माईनरों के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 148-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 5-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गुजरखेड़ी	5.17	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम.-4 एवं एम-6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 149-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र.क्र. 6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	फिफरी रैयत	2.72	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम.-4 एवं एम-6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 150-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 7-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	नवलगांव	0.55	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम.-4 एवं एम-6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 62-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 18-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	धावड़िया	3.160	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर नहर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 6 की सबमाईनर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 64-2013-एल.ए.-भू-अर्जन, प्र. क्र. 20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोठी	1.226	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर नहर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 16 की सब माईनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 8157-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बड़लावदा	6.113	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बड़लावदा तालाब में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
			6.113		

(2) भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8159-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कोयला	12.795	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कोयला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
		हिनोती	0.478		
		योग. .	13.273		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8161-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	किशनपुरिया	24.027	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
		कालीतलाई	25.589		
		जसापुरा	2.593		
		योग . .	52.209		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8163-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	पाटनखुर्द	26.487	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
		मुरारिया	13.795		
		योग . .	40.282		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 16322-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/नगर	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	ग्राम-भरगदा प.ह.नं. 46	8.777 हेक्टेयर/ 21.68 एकड़.	कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना संभाग, इटारसी.	भरगदा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 5 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13-मदागनमाफी-408.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	मदागनमाफी	किता-17 परिसम्मत्ति कुआ-01	5.325	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.	मदागनमाफी तालाब निर्माण लघु सिंचाई परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी, चांचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचोडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 237-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	कचनार	निजी भूमि 1.607 शासकीय भूमि 0.572 योग . . 2.179	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा. (म. प्र.)	नैया नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—नैया नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 6283-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा.	गाडरवाडा प.ह.नं. 51.	2.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6283-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा	बगहाई प.ह.नं. 51.	0.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6283-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा	भालीवाड़ा प.ह.नं. 51.	0.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6283-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा	गाडरवाडा प.ह.नं. 51.	17.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6283-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा	मासूल प.ह.नं. 50	9.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 6314-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	छींदा	1.03	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी.	नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, केवालरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. 6388-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर रा.नि.मं., धनौरा	बगहाई प.ह.नं. 51	2.44	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	मासूल जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 44-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	आंतरी-4	0.660	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 600-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगावां	दसनावल	123.390 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि नि. चर. 4.424 हे. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेसिंग रिजर्ववायर-02 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 4 अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	खकनार	सावली	46.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर.	सावली तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके, द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	कस्बा भानपुरा	17.959	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग विभाग, गांधीसागर.	भानपुरा नहर परियोजना (यूनिट प्रथम).

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 09-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	कढ़ैयाखुर्द	71/2/2	0.259	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			9	0.486		
			10, 57	0.004		
			8	0.150		
			7, 120/7, 135/8	0.757		
			136/8	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			119/4ग	0.445		
			118/4	0.356		
			116/4/3	0.069		
			116/4/2	0.004		
			4/1	0.567		
			2	0.308		
			117/2	0.275		
			115/1	0.012		
			113/1	0.032		
			1	0.223		
			योग . .	4.004		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	पाड़ली	35, 36/5	0.024	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			35, 36/4	0.024		
			35, 36/3	0.004		
			34	0.210		
			33	0.138		
			32	0.170		
			30, 31	0.255		
			37, 38/1/1	0.214		
			37, 38/1/2	0.077		
			37, 38/1/3	0.089		
			37, 38/1/4,	0.089		
			37, 38/2	0.040		
			28/1	0.125		
			134/44	0.004		
			144/28/2	0.036		
			26/2	0.049		
			26/1	0.097		
			24, 25/2	0.069		
			24, 25/1	0.299		
			19/6	0.344		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			21/1/क/1	0.032		
			21/1/क/2	0.109		
			21/1/ख	0.077		
			22/3	0.073		
			22/2/क	0.134		
			22/2ख	0.125		
			22/1	0.178		
			21/2	0.194		
			11	0.332		
			12, 13	0.073		
			5,6,7, 8/2/2	0.085		
			5,6,7,8/2/1	0.117		
			5,6,7,8/1	0.154		
			3,14,15/1	0.368		
			3,14,15/2	0.093		
			2	0.105		
			16/1	0.166		
			1	0.243		
			4/1	0.045		
			4/2	0.279		
			10	0.368		
			9	0.057		
			57, 58, 59, 60/2	0.243		
			61/1	0.121		
			61/2	0.109		
			61/3/3	0.004		
			61/3/2	0.089		
			61/3/1	0.101		
			योग . .	6.431		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	रूनाहा	674/1/2	0.105	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			674/1/1	0.004		
			672/2	0.012		
			261	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			274, 275, 276, 277, 278, 279/1	0.073		
			274, 275, 276, 277, 278, 279/2	0.121		
			280/2	0.012		
			250	0.166		
			280/1	0.097		
			243/1	0.020		
			244	0.105		
			237	0.089		
			225/4	0.194		
			236/1	0.024		
			230	0.251		
			232/1/ख/1	0.097		
			232/1/ख/2	0.081		
			232/2/ख/1	0.049		
			232/2/ख/2	0.065		
			232/2/ख/3	0.089		
			233	0.053		
			768/233	0.210		
			41	0.360		
			42	0.130		
			योग . .	2.812		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 12-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	मंगलगढ़	208	0.032	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			209/1,323/209	0.061		
			209/2/क,323/209	0.154		
			209/2/ख, 323/209	0.016		
			211, 212, 213/2/क	0.032		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			211/2 ख, 212, 213	0.138		
			211/3, 212, 213	0.154		
			215/2	0.028		
			215/1	0.138		
			214	0.170		
			270/2	0.101		
			326/217	0.032		
			270/1/3	0.125		
			194	0.166		
			193/2	0.138		
			190	0.016		
			188, 189/2	0.243		
			183, 185	0.324		
			171, 172/2	0.101		
			174	0.142		
			175	0.174		
			320/177	0.105		
			176	0.251		
			115/1/1/2	0.065		
			115/1/1/ख	0.008		
			115/1/2	0.016		
			115/4	0.117		
			193/1	0.081		
			192	0.089		
			156	0.150		
			153/3, 154, 159	0.028		
			153/1/2, 154/, 159	0.421		
			145/147/ 148/1	0.255		
			145/147 158/3	0.069		
			144	0.291		
			143	0.259		
			142/1	0.510		
			145/5/2, 147, 148	0.012		
			133,	0.380		
			134, 135	0.174		
			102/1	0.142		
			100/1	0.214		
			306/86	0.134		
			141	0.097		
			140	0.142		
			317/140	0.186		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			96	0.320		
			94/95/1/ख	0.085		
			94/95/1/क	0.097		
			योग . .	7.183		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 13-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	आंकिया	229/	0.611	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			229/3	0.065		
			228/1/1	0.024		
			162	0.324		
			164/1/ख	0.817		
			166	0.024		
			152/1	0.105		
			152/2	0.146		
			151	0.121		
			137	0.081		
			138/1/2	0.287		
			139/2	0.117		
			146/1	0.243		
			146/2	0.101		
			145/1/1	0.049		
			145/3/ख	0.134		
			144/2	0.449		
			90/1ख	0.032		
			88/1/क/1	0.182		
			86	0.162		
			101/1/3	0.089		
			101/2	0.142		
			81/1/1	0.162		
			68/1	0.077		
			68/2	0.085		
			68/3/1	0.061		
			69/1	0.065		
			69/2/क	0.101		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			61/3	0.053		
			61/4/1	0.271		
			59/1/1/क/1	0.057		
			59/1/1/ख	0.073		
			59/1/2	0.130		
			59/3	0.024		
			57/1/क/1	0.239		
			57/1/क/2	0.121		
			54	0.081		
			55	0.263		
			योग . .	6.168		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 14-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	बरखेड़ाकलां	220/221/2/क	0.283	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			220/221/2/ख	0.040		
			194	0.267		
			193/5	0.008		
			195/2	0.154		
			192	0.271		
			189/1	0.109		
			189/2	0.142		
			188/2	0.146		
			184/2	0.142		
			183/1	0.093		
			183/2	0.101		
			182/2	0.065		
			181/2	0.247		
			181/4	0.024		
			179/1	0.008		
			180/1	0.085		
			180/2/क	0.053		
			180/2ख	0.016		
			147	0.235		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			145/1/ख	0.040		
			145/2	0.024		
			145/3	0.061		
			145/4	0.045		
			17/2	0.045		
			17/6	0.045		
			16/6, 16/1 16/4/2	0.061		
			16/5, 16/3 16/4/1	0.032		
			15/1	0.049		
			15/2	0.049		
			14	0.186		
			2/24/2/क/13	0.020		
			11/1	0.150		
			11/2	0.077		
			12/2	0.045		
			12/1	0.113		
			227/5/ग	0.061		
			227/5/ख	0.032		
			5/2	0.024		
			5/3/1	0.200		
			5/3/2	0.004		
			5/4	0.053		
			4/1	0.089		
			4/2	0.053		
			3/1	0.045		
			योग . .	3.912		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 15-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	अमरपुर	138/1	0.073	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बाबत्.
			140/1	0.004		
			139	0.134		
			131	0.089		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			132	0.004		
			130/1	0.049		
			130/2	0.016		
			129/1	0.085		
			128	0.004		
			133	0.020		
			296/128	0.012		
			249/2/1	0.069		
			249/2/2	0.073		
			249/2/3	0.125		
			249/1/1	0.142		
			249/1/2	0.125		
			242/1	0.109		
			242/3	0.073		
			242/2	0.081		
			241/2	0.121		
			232/1	0.109		
			231	0.117		
			230/1/2	0.089		
			230/1/3	0.121		
			230/2	0.101		
			199/1	0.053		
			199/2	0.049		
			199/3	0.053		
			198/2	0.121		
			171	0.105		
			173/2/1	0.105		
			173/2/2/ख	0.008		
			173/3/1	0.057		
			173/3/2/क	0.081		
			149/1	0.125		
			149/2	0.049		
			149/3	0.053		
			148/1	0.045		
			148/2	0.040		
			148/3	0.045		
			147	0.190		
			योग . .	3.124		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 16-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	चाचाखेड़ी	145	0.012	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			144	0.032		
			133	0.032		
			142	0.008		
			137	0.008		
			138	0.081		
			140	0.008		
			139	0.077		
			116	0.045		
			117/2/1	0.008		
			120	0.130		
			70	0.049		
			71	0.093		
			74	0.109		
			73	0.142		
			77	0.012		
			योग . .	0.846		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 17-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	विजावनकलां	61/2	0.032	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			61/1/1	0.024		
			61/1/2	0.040		
			62	0.053		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			63/1/2	0.053		
			65	0.186		
			66/2	0.004		
			64/1	0.004		
			64/2	0.028		
			72/1	0.125		
			72/2	0.004		
			73/2	0.130		
			73/1/क	0.113		
			207/56/3/क	0.012		
			207/56/2/2	0.032		
			207/56/2/1	0.020		
			207/56/1/2	0.032		
			207/56/1/1	0.032		
			108	0.283		
			209/110/1/1	0.008		
			110/1	0.004		
			6/3	0.065		
			6/1	0061		
			5	0.130		
			51/1	0.243		
			56/1/1/क	0.121		
			56/1/1/ख	0.069		
			54	0.008		
			55/1	0.008		
			55/2	0.057		
			32/2	0.162		
			32/1	0.040		
			31/2	0.004		
			31/1	0.162		
			30/3/1	0.061		
			30/2	0.032		
			30/1/2	0.077		
			योग . .	2.519		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 18-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	सुमेर	22/1/1	0.158	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			22/1/2	0.053		
			8	0.178		
			9/1/1	0.170		
			9/2	0.049		
			9/1/2	0.105		
			19/3	0.142		
			योग . .	0.855		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 19-भू.अ.-अ-82-12-13-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	बांदीखेड़ी	163/1	0.028	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
			162	0.150		
			154	0.121		
			153	0.093		
			155	0.008		
			57	0.194		
			56, 58, 59/1	0.063		
			56, 58, 59/2	0.055		
			55/1	0.073		
			55/2	0.077		
			19	0.105		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			20/1	0.089		
			21/3	0.073		
			21/2	0.101		
			21/1	0.036		
			22/2	0.077		
			22/1	0.040		
			23/1	0.174		
			24	0085		
			6/2	0.012		
			6/1/1	0.016		
			6/1/2	0.028		
			6/1/3	0.028		
			6/1/4	0.028		
			6/1/5	0.028		
			5/4	0.158		
			5/5/क	0.093		
			5/5/ख	0.093		
			3/2/ख	0.081		
			3/1/1/11	0.150		
			योग . .	2.357		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	पहाडगावं	18.75	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	गहरवार	21.25	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	भेलसी	13.00	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	बधीकला	17.50	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 8475-76-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब्यावरा	राजगढ़	कुशलपुरा	9.226	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कुशलपुरा बहुउद्धेशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक की डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
		तालूड़ी	10.374		
		सुवांहेड़ी	16.045		
		नलखेड़ा	24.786		
		पगारा	29.671		
			90.102		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8479-80-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहगढ़	राजगढ़	भैंसाना/	19.476	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कुशलपुरा बहुउद्धेशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक की डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
		दौलतपुरा	19.363		
		घियाखेड़ी	1.160		
		बुखारी	13.113		
		मोई	26.836		
			79.948		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8483-84-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बासखेड़ा	2.932	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	गेकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.932		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 8477-78-भू.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—देहरीकराड़
(घ) क्षेत्रफल—1.120 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
नदी से प्रभावित भूमि	
854	1.120
योग :	1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8481-82-भू.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रोज्या तालाब के सीमांकन अनुसार डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—रोज्या
(घ) क्षेत्रफल—8.765 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि	
33/5	0.500
31/8	1.000
43/2/2	1.253
34/1/1	1.200
37/2	1.253
20/1/3	0.651
34/2	0.900
37/1	1.808
37/4	0.200
योग :	8.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रोज्या तालाब के सीमांकन अनुसार डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-560-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची का वर्ग (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—ईसागढ़
(ग) ग्राम—बरोदिया
(घ) क्षेत्रफल—0.416 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
507	0.150
512	0.031
514	0.130
515	0.105
योग . .	0.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पचलाना बांध की नहर निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 4076-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 34-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—जावरा
(ग) ग्राम—सिंदुरकिया एवं दुधाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—00.290 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
सिन्दुरकिया	
146	00.07
147	00.07
148	00.04
योग. .	00.18
दुधाखेड़ी	
224	00.05
225	00.06
योग. .	00.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जावरा-ताल मार्ग के कि.मी. 10/4 में सिंदुरकिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4082-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—आलोट

(ग) नगर—आलोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—06.344 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
854/1	0.061
854/3	0.034
855/1/1/1	0.110
856	0.210
855/1/1/2	0.110
855/2	0.004
857	0.157
858/1	0.070
900	0.050
899	0.050
898	0.210
897	0.010
944/2	0.035
945	0.040
943	0.132
961	0.170
944/1	0.135
964	0.100
942	0.060
982	0.130
983	0.160
984	0.150
985	0.030
978	0.100
979	0.152
980	0.079
981	0.040
295	0.020
296	0.010
303	0.030
306	0.157
307	0.065
305	0.080
323	0.116
324	0.172
325	0.004
326	0.110
390/1	0.007
391/1	0.180
393	0.300
394	0.220
388	0.005
419	0.006
420	0.160
434, 436	0.060
304	0.180
386	0.002
396	0.180
397	0.080
414/5	0.050
415	0.053
416	0.101
411	0.032
413	0.187
417	0.210
405	0.010
406	0.085
407	0.110
318	0.030
387	0.007
395/1	0.500
395/2	0.106
398/2	0.010
399	0.120
कुल रकबा. .	6.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आलोट बायपास मार्ग निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4084-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—आलोट

(ग) ग्राम—विक्रमगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—02.747 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1213	0.213
1214	0.220
1215/1	0.106
1216/1/1	0.204
1219	0.250
1220	0.401
1226	0.304
1221	0.050
1225/1	0.090
1227	0.190
1215	0.110
1206	0.090
1207/1	0.030
1207/2	0.030
1208	0.140
1209/1	0.060
1210	0.060
1209/2	0.070
1224/2	0.020
1268	0.050
1263/1	0.104
कुल रकबा. .	2.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आलोट बायपास मार्ग निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4086-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—जावरा

(ग) ग्राम—रिछाचांदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—00.08 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
489	00.08
कुल रकबा. .	00.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-नयागाव (एल.एच. 79) फोरलेन निर्माणान्तर्गत प्रभावित व छुटे गये सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 अगस्त 2013

क्र. क-भू-अ. वि.अ.-2012-13-698.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—दमोह

(ग) ग्राम—हथना, प.ह.नं. 10/27

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.779 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
413	0.105
417	0.197
418	0.034
419	0.038

(1)	(2)
423	0.070
424	0.050
425	0.168
439	0.003
440	0.008
441	0.043
442/1	0.020
442/2	0.040
446	0.020
448	0.010
449	0.050
451	0.038
456/1	0.034
457	0.105
458	0.041
465/1	0.033
465/2	0.034
465/3	0.033
470	0.002
737/2	0.134
739	0.040
750/2	0.006
751/1	0.030
751/2	0.030
752	0.060
योग . .	1.476

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
दायी तट असिंचित नहर निर्माण	
4/2	0.058
16/3	0.032
17	0.060
18	0.040
22	0.163
23	0.110
30	0.118
33	0.126
34	0.055
35	0.008
51	0.140
52	0.100
53	0.187
56	0.029
57	0.017
58	0.067
59	0.012
183/2	0.029
185/3	0.074
185/4	0.074
185/5	0.074
186	0.019
212/2	0.168
214/2	0.187
216/1	0.130
225	0.130
226	0.096
योग . .	2.303
महायोग . .	3.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हथना जलाशय योजना अंतर्गत वायी एवं दायी तट पर अतिरिक्त नहर निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1 अ-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—दरगांय कलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
586/2/1	0.500
योग . .	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2 अ-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—केशरमढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.599 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1/क/2	0.737
6/1	3.862
योग . .	4.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—पडवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.921 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
680/1ख	0.290
683/3/1ख	0.310
675	0.300
671	0.090
670	0.120
669	0.110
668	0.200
540	0.140
543	0.020
541	0.004
537	0.130
538	0.004
536	0.120
523	0.120
846/3	0.690
834/3ख	0.450
833/1	0.160
832/2क	0.580
823/3/1	0.690
830/1	0.060

(1)	(2)
824	0.040
825	0.053
826/1	0.240
कुल . .	4.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरापुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़, एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 9 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-12-13-**संशोधित.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम—पपावनीपूर्वी
(घ) क्षेत्रफल—1.273 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
853/1 853/2 853/3	0.120
76	0.005
399	0.124
470	0.044
474	0.019
475	0.037
476	0.015
477	0.011
484	0.007
485	0.018
611	0.065
613	0.007
614	0.008
617	0.082
623	0.014
624	0.055
625	0.069
628	0.024
642	0.001
643	0.038
651	0.007
652	0.035
852, 852/870	0.057
664	0.033
665	0.035
666	0.006
702	0.056
705	0.014
766	0.022
803	0.031
805	0.024
807	0.024
809	0.054
812	0.004
815	0.010
816	0.030
817	0.046
833	0.022
कुल योग. .	1.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—मडवाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 5 अगस्त 2013

प्र. क्र. 65-अ-82-2012-13-क्र. 1768-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे

दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—अनन्तपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.116 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (2)
29/3	0.415
31	0.700
32	0.490
51/2	0.405
52/1	0.071
52/2	0.325
53/3	0.260
53/5	0.380
55/1	0.595
55/2	0.095
55/3क	0.110
55/3ख	0.167
55/4	0.300
57/1	0.155
57/3	0.412
59/1	0.168
68/52	0.068
योग . .	5.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 71-अ-82-2012-13-क्र. 1771-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—नन्दगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.573 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (2)
42, 81	0.175
66/1	0.610
76/1, 77/2	0.180
77/1	0.160
78/1	0.200
78/2	0.165
80/1	0.125
80/2	0.115
80/3	0.120
89	0.250
90	0.255
91/2	1.070
92	0.940
96	0.270
98/1	0.268
98/2	0.129
99/1	0.150
99/2	0.285
100, 132/3	0.175
101 132/1/1/2 132/4	0.290
102/1, 132/1/3/1	0.195
102/2	0.195
102/3	0.173
102/5 132/1/1/1/1/1/1/3 132/6 132/1/3/2	0.225
105	0.325
106/1, 110/2, 111	0.016
106/2	0.165
112/4, 117/4	0.085
112/5, 117/5	0.380

(1)	(2)
112/6, 117/6	0.170
126/2, 129/2	0.032
129/1	0.590
132/1/4	0.080
144/1/3	0.075
144/1/1/1/1/1/1/4	
144/1/1/2	0.425
144/1/2	
144/9, 144/10, 144/11	0.510
योग . .	9.573

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर एवं उसकी उप नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. . . .-अ-82-2012-13-क्र. 1769-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—विश्वनाथखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.322 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
128/4	0.270
132/1	0.345
132/2/2	0.242
133, 134, 135/2	0.540
142/1/ख/1	0.558
142/2/1	0.260
142/2/2,	0.070
142/3	0.170
162/2/2	0.607
154/1/1/1, 154/3	0.550
155/2/1/1	0.290
156/4	0.238
160/1	0.235
161/2	0.170
165/2	0.155
170/2	0.202
169/1/1	0.140
169/1/2	0.115
169/1/4, 169/2/2	0.130
169/2	0.035
योग . .	5.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 74-अ-82-2012-13-क्र. 1770-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—सिकन्दरखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.353 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
7/1, 8/15, 9/1, 11/1	0.052
7/2, 8/14, 9/2, 11/2	0.052
7/3, 8/13, 9/3, 11/3	0.052
7/14, 8/2, 9/14	0.048
7/16, 8/16, 9/16	0.052
7/17, 8/17, 9/17	0.052

(1)	(2)
8/1	0.048
8/3	0.052
8/4/1	0.052
8/5	0.052
8/7	0.052
8/8	0.052
8/9/2	0.052
8/10	0.026
8/18, 9/6	0.026
8/19, 9/4, 11/4	0.052
8/21, 9/5, 11/5	0.052
13/1, 15/4, 16/1	0.435
13/2, 16/2, 17	0.529
15/1	0.150
15/2	0.215
15/3	0.200
योग . .	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल बायी तट उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 57-अ-82-2012-13-क्र. 1930-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—पुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.352 हेक्टयर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.151
2/2	0.219
2/3	0.244
2/4	0.072
2/50	0.367
3/1/1	0.050
6/5, 6/6	0.327
6/3, 6/4, 14, 16	0.275
7/1	0.450
22/1/2	0.292
22/2/2क	0.299
23/1	0.081
24/1	0.292
23/3	0.262
26/1	0.333
28/1	0.092
28/8, 28/9	0.150
29/2/1	0.119
29/3/1	0.111
30/4	0.377
32/2	0.236
33/2/1	0.004
33/3	0.214
33/4	0.054
34/1	0.860
34/2	0.265
35/1	0.012
36	0.193
38/3	0.007
38/4	0.095
42/5	0.056
44	0.073
45/4	0.110
46/2	1.227
46/3	0.406
46/4	0.477
47/1	0.134
48/1	0.366
योग . .	9.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी, मध्यप्रदेश

शुद्धि-पत्र

कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी जिला-बड़वानी की उद्घोषणा क्र. 1370-भू-अर्जन-नहर-2013, बड़वानी, दिनांक 25 जून 2013, प्र. क्र. 64-अ-82-2012-13 ग्राम भमोरी (तहसील-अंजड़), जिला-बड़वानी की धारा-6 का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में प्रकाशन दिनांक 19-07-2013 में पृष्ठ क्रमांक 2569 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 43/1 पैकि रकबा 0.154 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 4/1 पैकि, रकबा 0.154 हेक्टर प्रकाशित हो गया है जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 43/1 पैकि रकबा 0.154 हेक्टर पढ़ा जावे.

जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—अलीपुर, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.196 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
142	0.236
143	0.106
144	0.168
145	0.048
149	0.430
186/1	0.072
335/2	0.040
335/5	0.096
योग :	1.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—ठरका, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.730 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
533	0.025
524	0.130
523	0.060
516	0.065
515	0.030
514	0.110
513	0.010
511	0.040
512	0.020
468	0.010
467	0.070
874	0.030
516	0.030
योग :	0.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—नैनपुर, प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.940 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
413/1, 413/2	0.180
415	0.460
416	0.310
418	0.070
420	0.190
422	0.100
440/2	0.300
441/1	0.100
443	0.230
	योग : 1.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 002-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—ऊँचा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.34 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
649	0.54	निजी भूमि
651	0.20	निजी भूमि
987	0.11	निजी भूमि
930	0.12	निजी भूमि
929	0.11	निजी भूमि
928	0.11	निजी भूमि
1005	0.17	निजी भूमि
932	0.04	निजी भूमि
638	0.10	निजी भूमि
636	0.03	निजी भूमि
977	0.02	निजी भूमि
637	0.09	निजी भूमि
965	0.08	निजी भूमि
966	0.03	निजी भूमि
971	0.02	निजी भूमि
974	0.11	निजी भूमि
648	0.03	निजी भूमि
630/1	0.13	निजी भूमि
647/1	0.03	निजी भूमि
1006	0.18	निजी भूमि
973	0.06	निजी भूमि
978	0.05	निजी भूमि
980	0.09	निजी भूमि
981	0.06	निजी भूमि
986	0.12	निजी भूमि
1011	0.02	निजी भूमि
1012	0.21	निजी भूमि
1028	0.14	निजी भूमि
1029	0.02	निजी भूमि
1032	0.18	निजी भूमि
876/1	0.04	निजी भूमि
877/1	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
876/3	0.06	निजी भूमि
877/3	0.12	निजी भूमि
875	0.20	निजी भूमि
874	0.11	निजी भूमि
864/3	0.02	निजी भूमि
863/1	0.18	निजी भूमि
860	0.18	निजी भूमि
846/3	0.27	निजी भूमि
845	0.16	निजी भूमि
849	0.02	निजी भूमि
841	0.18	निजी भूमि
840	0.10	निजी भूमि
625/1	0.01	निजी भूमि
1094	0.15	निजी भूमि
639/2	0.12	निजी भूमि
1095	0.01	निजी भूमि
1098	0.07	निजी भूमि
1039/1	0.12	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	5.34	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नांदन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 026-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—हरदुआ मेंमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.83 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2125	0.14	निजी भूमि
2208	0.08	निजी भूमि
861	0.02	निजी भूमि
2126	0.24	निजी भूमि
2203/1	0.04	निजी भूमि
2010	0.01	निजी भूमि
2083	0.01	निजी भूमि
2085	0.01	निजी भूमि
2016	0.01	निजी भूमि
2026	0.01	निजी भूमि
2094/1	0.01	निजी भूमि
2099	0.01	निजी भूमि
2102	0.01	निजी भूमि
2097	0.01	निजी भूमि
2121	0.01	निजी भूमि
2130	0.20	निजी भूमि
2197	0.01	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	0.83	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 041-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—गिरवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.27 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
804	0.02	निजी भूमि
805	0.02	निजी भूमि
806	0.02	निजी भूमि
807	0.04	निजी भूमि
808/1	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1229/1	0.02	निजी भूमि
1227/1	0.02	निजी भूमि
1228/1	0.02	निजी भूमि
1229/2/1	0.06	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	0.27	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गिरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 043-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—बघवारकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1007	0.080	निजी भूमि
1008	0.100	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	0.180	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 080-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—हरदुआ सारसबाहु
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.770 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
459	0.020	निजी भूमि
65	0.040	निजी भूमि
67	0.060	निजी भूमि
28	0.100	निजी भूमि
26	0.010	निजी भूमि
146	0.040	निजी भूमि
148	0.050	निजी भूमि
149	0.010	निजी भूमि
153	0.010	निजी भूमि
154	0.010	निजी भूमि
155	0.010	निजी भूमि
160	0.010	निजी भूमि
176	0.010	निजी भूमि
159	0.020	निजी भूमि
158	0.040	निजी भूमि
177	0.070	निजी भूमि
178	0.030	निजी भूमि
206	0.080	निजी भूमि
216	0.040	निजी भूमि
217	0.010	निजी भूमि
560	0.100	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	0.770	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 096-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—पडरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.50 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
882/1/ख	0.82	निजी भूमि
884	0.32	निजी भूमि
885/1/क	0.31	निजी भूमि
885/2/क	0.37	निजी भूमि
913/1	0.68	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	2.50	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2155-भू-अर्जन-कार्य-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—दुअरा उर्फ भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.250 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि—	
60	0.160
254/2	0.012
254/3	0.009
279	0.069
योग . .	0.250
(ब) शासकीय भूमि—निरंक	
महायोग . .	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2157-भू-अर्जन-कार्य-2011—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखीत भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—सोहागी

(घ) क्षेत्रफल—1.893 हैक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
365/1, 365/1क, 365/2, 365/2क, 365/3, 365/3क, 365/4, 365/4क, 365/5, 365/6	0.324
367/1	0.024
367/2	0.048
367/3	0.048
368	0.120
81	0.336
573/1क	0.020
576/1ख	0.030
677	0.040
679	0.094
योग . .	1.084
(ब) शासकीय भूमि	
369	0.305
675	0.040
676	0.464
योग . .	0.809
महायोग . .	1.893

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यलय में किया जा सक्ता है.

क्र. 2159-भू-अर्जन-कार्य-2011—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—टिकुरी

(घ) क्षेत्रफल—0.522 हैक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्चर में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
77/1, 77/2, 77/3	0.072
86/1, 86/2	0.085
87/1, 87/2	0.110
88/1, 88/2, 88/3	0.036
93	0.219
योग . .	0.522
(ब) शासकीय भूमि—निरंक	
महायोग . .	0.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यलय में किया जा सक्ता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

नस्ती क्र. 30-एल.ए.-2013-भू-अर्जन प्र. क्र.-11-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—खुटलाकला

(घ) अर्जित रकबा—0.969 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे.में) (2)
163	0.052
164/1	0.072
166/1	0.062
166/3, 166/4	0.225
कुल योग . .	0.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की नहर योजना की केलवा वितरण शाखा आर. डी. 510 (आर) के अतिरिक्त सब-माईनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 29-एल.ए.-2013-भू-अर्जन प्र. क्र.-12-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—नवलगांव

(घ) अर्जित रकबा—0.43 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे.में) (2)
267/1	0.40
267/2	0.03
कुल योग . .	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की केलवा वितरण शाखा के माईनर क्र. 3 की सब-माईनर क्र. 2 के आगे निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 6418-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—अमरकंटक

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.077 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
240/2	0.607
240/3	0.607
265/2	0.738
265/3ख	0.079
265/3ख	0.079
265/3ग	0.079
265/4घ	0.079
265/4	0.809
योग. .	3.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—गायत्री सरोवर डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 6419-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—लालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.088 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
257	0.040
258	0.048
योग. .	0.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—जोहिला जलाशय योजना अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 1-अ-82-2012-13-प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय (हलाली) का जल स्तर 1504 से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—रायसेन

(ग) ग्राम—नीनोद, कायमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.078 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित किया गया रकबा (हे. में) (2)
ग्राम—कायमपुर	
220	2.024

(1)	(2)
206/2	1.214
206/3	1.619
206/1	1.214
कुल योग. .	6.071

ग्राम—नीनोद

331/3	1.007
महायोग. .	7.078

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 6230-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—केवलारी

(ग) ग्राम—केवलारी, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.99 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अशासकीय भूमि	
255/1	0.13
255/2	0.20
255/3	0.11
255/4	0.55
योग. .	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6230-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—चौरापाठा

(ग) ग्राम—चौरापाठा, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.310 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अशासकीय भूमि	
310	0.50
311	0.20
320/2	0.15
278/5	0.06
279/1	0.06
279/3	0.14
309	0.12
279/2	0.08
कुल रकबा. .	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 7 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—खुशालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.794 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
12/1	1.170
18/1	0.160
5	0.850
4	0.309
28/3	0.259
28/6/2	0.070
28/1	0.259
28/4/3	0.114
28/4/2	0.070
28/2	0.259
28/5/2	0.070
29	0.515
30	0.763
31	0.672
13/1/1क	0.220
13/1/2क	0.305
13/1/3	1.306
13/2	1.307
33/1/1ख	0.300
13/1/2/ख	0.345
28/5/3	0.514
1/2क	0.957
योग. .	10.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—बरोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.848 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1	0.025
202/2	0.028
202/3/1	0.550
190/1/1	0.075
190/2/1/क	0.173
190/2/2/क	0.172
190/6/1	0.050
190/4/1	0.038
190/7/ग	0.025
190/7/क	0.190
189/2/1	0.100
189/1/1	0.200
178/2/2ड़	0.029
178/2/2च	0.130
182/1/1	0.027
179/4	0.036
योग. .	1.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—महिदपुर
(ग) नगर/ग्राम—टाण्डा एवं चौरवासा
(घ) लगभग कुल रकबा—2.19 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—टाण्डा	
195	0.09
203/5	0.09
योग . .	0.18
ग्राम—चौरवासा	
9	0.88
89	0.60
91	0.53
योग . .	2.01
महायोग . .	2.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—टाण्डा जलाशय योजना के अंतर्गत केनाल इस्केप से जल निकासी एवं डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ-490-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—अमझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.068 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
416/1क	0.404
416/2ख	0.809
416/2क	0.809
416/4ख/1	0.404
416/4ख/2	0.607
416/4क	1.214
2 किता	1.821
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	6.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-490-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—छाइन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.963 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
140/1	5.119
141	2.024
144/2ग	1.622
142	0.198
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	8.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 10156-प्र.भू.-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—तोड़ा तरफदार, पड़रिया कला, करहद, महुआखेड़ा कला.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.378 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—तोड़ा (तरफदार)	
212	0.132
213	0.240
270/1	0.066
271/1	0.114
272/1	0.280
281/2	0.090
281/3	0.138
364	0.060
365	0.066
366	0.112
371	0.036
388/1	0.093
388/2	0.036
388/3	0.024
389	0.036
400	0.060
401	0.027
402	0.192
403/2	0.096
403/3	0.028
407/1	0.018
407/3	0.018
407/5	0.138
409/2	0.352
410	0.350
415/1	0.105
434	0.033
444/2	0.067
445	0.070
446	0.103
452/1	0.171
452/2	0.096
461/2	0.112
472	0.009
473	0.105
474/1	0.086
474/2	0.086
474/3	0.086

(1)	(2)
475	0.038
476	0.091
479/1	0.076
505/1	0.067
505/2	0.026
505/3	0.024
506	0.136
507/2	0.062
508	0.153
509/1	0.040
509/2	0.040
515/1	0.048
515/2	0.057
768/1	0.141
768/2	0.141
योग . .	5.071

ग्राम—पड़रिया कला

163	0.042
164/1	0.057
164/2	0.057
165	0.114
168	0.324
169	0.084
170	0.066
178/1	0.261
181	0.072
189	0.324
195	0.072
196	0.090
199	0.501
200/1	0.004
200/2	0.007
200/3	0.007
200/4	0.019
200/5	0.009
201/1	0.021
201/2	0.021
202/1	0.036
202/2	0.009
229	0.156
230	0.142
241/1	0.052
241/2	0.192
242	0.045
243	0.199
245	0.235
249/2	0.024
252	0.038
253	0.129
योग . .	3.410

ग्राम—करहद

750/1	0.129
750/2	0.072
751	0.266
765	0.096
योग . .	0.563

ग्राम—महुआखेड़ा कला

174	0.091
180	0.119
181	0.100
182	0.024
योग . .	0.334
महायोग .	.9.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तोड़ा जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 5 अ-82-2013-14 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) ग्राम—सहसनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—99.522 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	1.058
2/2	0.909
3	0.567
4	0.599
5/1/क	0.809
5/2/क	0.813
5/3/क	0.500
5/4/क	0.809
5/5/क	0.809
5/6/क	0.500
5/7/क	0.809
5/8/क	0.500
5/9/क	0.247
5/ख/1	1.618
5/ख/2	1.619
5/ग	0.129
6	0.162
6/2/ख	0.809
6/3/ग	0.809
7	1.003
8/1	0.500
8/2	0.809
8/3	1.300
8/4	1.400
8/5	1.000
8/6	0.139
9	0.435
10/ख	1.133
11	0.906
12	1.076
13/1	0.961
13/2	1.000
13/3	0.809
13/4	0.615
13/5	0.615
15	1.424
16	1.173
17/क	1.594
17/ख	1.165
18	0.356
19	1.740
20	0.729
21	0.202
22	0.089
24	0.551
25	0.397
26	0.583
27	0.267
29	0.324
30	0.437
31	0.388
32	0.632
33	0.121
36	0.890
38	0.146
40	0.437
41	0.235
42	0.567
43	0.291
44	0.340
45	0.089
46	0.656
47	0.073
48	0.186
49	0.364
51	0.372
52	0.081

(1)	(2)
53	0.049
54	0.316
55	0.227
56	0.138
57	0.057
58	0.073
60	0.065
61	0.024
62	0.065
63	0.105
64	0.348
65	0.049
66	0.065
67	0.073
69	0.356
70	0.162
71	0.073
72	0.089
73	0.170
74	0.146
75	0.121
76	0.057
77	0.016
78	0.032
79	0.040
80	0.016
81	0.016
82	0.097
83	0.162
84	0.138
85	0.105
86	0.081
87	0.089
88	0.081
89	0.081
90	0.121
91	0.704
92	0.494
93	0.202
94	0.162
95	0.291
96	0.040
97	0.032
98	0.121
99	0.162
100	0.210
101	0.283
102	0.380
104	0.113
105	0.202
106	0.016
108	0.065
110	0.057
111/1	0.591
111/2	2.023
112/ख	0.809
113	0.202
114	0.445
115	0.129
116	0.275
118	0.291
119	0.210
121	0.356
122	0.299
123	0.202
124	0.372
125	0.380
127	0.227
128	0.121
130	0.332
132	0.265
134	1.327
138/1	0.129
138/2	2.023
139	0.753
140/1	2.000
140/2	2.000

(1)	(2)	(1)	(2)
142	0.121	208	0.024
143	0.315	209	0.081
144	0.478	210	0.097
147/1	0.102	211	0.121
147/2	0.101	212	0.150
147/3	0.101	221	0.146
147/4	0.101	223	0.121
148	0.454	224	0.121
150/ख	0.405	225	0.308
150/ग	0.648	226	0.146
150/घ	0.324	227	0.437
151	0.154	230	0.081
152	0.526	231	0.065
153	0.085	258	0.081
157	0.332	259	0.849
159	0.450	260	0.202
172	0.648	261	0.243
173	0.245	262	0.405
180	0.194	264	0.138
181	0.518	522	0.761
182	0.090	523/1	0.453
183	0.048	523/2	0.858
184	0.454	524/1	2.363
185	0.105	525	0.413
186	0.081	526	0.267
187	0.235	527	0.275
188	0.170	529/2	0.057
190/ख	0.809	531	0.785
191/1	0.162	535	0.324
191/2	0.162	536/1	0.680
191/3	0.162	536/2	0.680
191/4	0.162	537	0.478
201	0.405	538	1.311
203	0.024	543	0.607
204	0.121	545	0.413
205/1	0.215	555	0.121
205/2	0.214	556/1	0.324
206	0.105	556/2	0.688
207	0.049		

(1)	(2)
556/3	0.486
557	0.186
558	0.340
559	0.230
561/1	0.243
561/2	0.243
562	0.518
563	0.372
564/1	0.078
564/2	0.078
564/3	0.078
564/4	0.154
565	0.462
566/1	0.114
566/2	0.056
566/3	0.056
566/4	0.057
567/1	0.099
567/2	0.197
567/3	0.099
567/4	0.099
568	0.138
569	0.162
571	0.035
599	0.583
600	0.227
604	0.186
605/3	0.324
योग . .	99.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड़ बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—भीमडोंगरी, प.ह.नं. 75
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.79 हेक्टर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां एवं वृक्ष.

ख. नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
161/3	0.01
145/2	0.04
150	0.34
131/2	1.62
110/2	0.10
110/3	0.15
111	0.44
113	0.07
111	0.01
115/2	0.01
योग . .	2.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चैकपोस्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-689-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—चन्देरी
(ग) ग्राम—लुहारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.112 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
258/1/1/1	0.794
258/1/2/1	0.425
259	3.406
260/1	0.595
260/2	0.377
261	0.118
262	1.077
263	2.320
योग . .	9.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-689-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—चन्देरी
(ग) ग्राम—मोहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.690 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
277/1	0.053
277/2	0.084
286	0.065
285/1	0.022
285/2	0.026
284	0.045
283/1	0.310
261/1	0.085
योग . .	0.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-689-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—चन्देरी

(ग) ग्राम—मन्हारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.285 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
4/1/2	1.000
4/1/4	2.094
4/1/6	0.419
4/1/7	0.419
4/1/8	0.419
4/1/9	0.419
4/1/10	0.419
80/1	0.679
80/2	0.680
82/1	0.246
82/2	0.245
83/2/2	0.794
82/2/3	0.679
83/2/4	0.794
83/2/5	0.742
83/2/6	0.428
83/2/1/2	0.355
83/2/1/3	0.230
83/2/1/4	1.000
83/2/1/5	0.750
83/2/1/6	0.750
83/2/1/7	0.750
83/2/1/8	0.375
64/7	0.052
78	0.574
79/1/1	1.808
79/1/2	1.692
85/1	2.048
85/2	2.049
86	1.118
87/1/2	0.777
90/1/2/3	1.000
90/1/2/4	1.510
90/1/2/5	0.500
90/1/2/6	1.000
92/1/2	1.331
92/1/3	1.840
92/1/1/2	0.679
92/2	2.170
87/1/1	0.522
90/1/2/2	0.155
93/2	0.117
90/2/1/2	0.146
90/1/1	0.500
99/2/4	0.319
90/2/2	0.692
योग . .	37.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-689-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—चन्देरी

(ग) ग्राम—भटोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.380 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
372	0.156
374	1.057
376/2	0.167
योग . .	1.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. 612-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5-कोर्ट-13, दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—सेल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.956 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
126/3	0.397
55	0.142
57/1	0.243
44	0.862
48	0.142
50/1	0.170
योग. .	1.956

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 613-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5-कोर्ट-13, दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—कातोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.159 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
331	0.053

(1)	(2)
576/3	0.008
540/2	0.065
548	0.012
540/1	0.040
540/3	0.061
541	0.040
580	0.032
400	0.012
379/3	0.008
544/2	0.097
398/5	0.004
528	0.057
390/2	0.004
575	0.097
378/2	0.012
401	0.008
536/1	0.040
535	0.178
524/1	0.506
576/2	0.012
547	0.004
406	0.012
405	0.004
389	0.016
391	0.057
402	0.008
403	0.008
578/3	0.049
399	0.012
600/2	0.057
404	0.004
542/1	0.020
378/1	0.004
598/2	0.008
385/1	0.004
385/2	0.004
385/3	0.004
386/2	0.008
379/2	0.004
546	0.053
563	0.032
576/1	0.012
330/1	0.015
386/1	0.008
578/2	0.097
542/2	0.012
332/4	0.057
598/1	0.194
330/2	0.046
योग. .	2.159

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 614-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5-कोर्ट-13, दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—आरसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.011 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/4	0.045
89/1	0.453
76	0.097
77/2	0.065
99/1	0.056
240/7	0.085
27/4	0.178
240/6	0.069
72/5	0.020
19/2	0.048
240/3	0.040
27/5	0.291
240/5	0.053
89/5	0.575
72/2	0.020
240/2	0.032
72/1	0.032
118	0.348
19/1	0.255
17	0.129
146	0.324
73/2	0.437
240/8	0.227
73/1	0.344
80/6	0.486
80/12	0.510
94	0.437
95	0.194
117/2	0.008
80/1	0.656
12/4	0.251
99/3	0.538
19/4	0.166
119	0.121
123	0.166
77/1	0.089
78/3	0.113
240/1	0.053
योग. .	8.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 577-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल.-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2013 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना चूनाभट्टी की स्थापना ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

(एक) नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

(दो) सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/वार्ड क्रमांक (2)			पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3)
पुलिस थाना हबीबगंज, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	1.	आयुष्मान अस्पताल रोड	वार्ड क्र. 51	पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
पुलिस थाना कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	1.	बाल्मीकी परिसर	वार्ड क्र. 28	पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	2.	एक्सीलेंस कालेज	वार्ड क्र. 28	
	3.	भोज मुक्त विश्वविद्यालय	वार्ड क्र. 28	
	4.	यशोदा बिहार	वार्ड क्र. 28	
	5.	श्री कृष्ण सोसायटी	वार्ड क्र. 28	
	6.	अमलतास फेस-III	वार्ड क्र. 28	
	7.	पी.एच.ई. आफिस	वार्ड क्र. 28	
	8.	स्वर्ण जयंती पार्क	वार्ड क्र. 28	
	9.	ईश्वर नगर झुग्गी	वार्ड क्र. 28	
पुलिस थाना शाहपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	10.	मनीषा मार्केट	वार्ड क्र. 51	पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	11.	सी सेक्टर शाहपुरा	वार्ड क्र. 51	
पुलिस थाना कमला नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	12.	पी.एच.ई. कालोनी	वार्ड क्र. 28	पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	13.	पी.एच.ई. गेस्ट हाउस	वार्ड क्र. 28	
	14.	सप्रे चौकी बलवीरनगर	वार्ड क्र. 28	
	15.	कोलार कालोनी झुग्गी	वार्ड क्र. 28	
	16.	दुर्गानगर चूनाभट्टी	वार्ड क्र. 28	

(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना कमला नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	17.	डॉ. गोविन्दनगर टाउन	वार्ड क्र. 28	पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	18.	चिनार बुडलेण्ड, सोम्य इन्कलेव चूनाभट्टी.	वार्ड क्र. 28	
	19.	जानकी नगर इन्कलेव	वार्ड क्र. 28	
	20.	कम्फर्ट गार्डन, सुरेन्द्र स्टेट चूनाभट्टी.	वार्ड क्र. 28	
	21.	चूनाभट्टी गांव	वार्ड क्र. 28	
	22.	अण्डरबिहार परर्सपर कालोनी	वार्ड क्र. 28	
	23.	पारिका सोसायटी चाणक्यपुरी	वार्ड क्र. 28	
	24.	वर्घमा, दीपक सोसायटी	वार्ड क्र. 28	
	25.	अमलतास फेस-II चूनाभट्टी	वार्ड क्र. 28	
	26.	छत्रपति शिवाजी कालोनी	वार्ड क्र. 28	
	27.	सागर गार्डन, शांति इंक्लेव	वार्ड क्र. 28	
	28.	अमृत कुंज, कलियासोत	वार्ड क्र. 28	
	29.	पी.एच.ई. झुग्गी चूनाभट्टी	वार्ड क्र. 28	
	30.	हिल्स किस्ट कालोनी, ग्रीनएवन्यू	वार्ड क्र. 28	
	31.	ग्लोवस सिटी, सिद्धिभवन	वार्ड क्र. 28	
	32.	वेस्टर्न प्लाजा, केस्टाल	वार्ड क्र. 28	
	33.	स्टरलिंग, ग्रीन व्यू फेस-I एवं II	वार्ड क्र. 28	
	34.	शिवाजी नगर झुग्गी	वार्ड क्र. 28	
	35.	कलिया सोत रोड	वार्ड क्र. 28	
	36.	यूनानी कालेज, आयुर्वेदिक कालेज	वार्ड क्र. 28	
	37.	संतीत कालेज	वार्ड क्र. 28	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 577-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल.-13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 577-जेसी.-1-भोपाल-2013, दिनांक 16 सितम्बर 2013 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2013

No. 577-J.C.1-Collector-Bhopal-2013.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two, dated 11th October 2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two, dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 16 September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notfies Police Station **Chuna Bhatti** Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

1. Exclude form the police station mentioned in column (1) of the Table below the local areas specified in column (2) there of and

2. Includes the local areas specified in column (2) of the said Table in the police station mentioned in column (3) of the said Table:—

TABLE

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excuded (1)	LOCAL AREA Name of Villages and Settlement No., Ward No. (2)		Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which included (3)
Police Station Habibganj, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	1. Ayushman Hospital Road	Ward No. 51	Police Station Chuna Bhatti, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.
Police Station Kolar Road, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	1. Balmiki Parisar	Ward No. 28	Police Station Chuna Bhatti, Tehsil Hujur, Distt.Bhopal.
	2. Excelence College	Ward No. 28	
	3. Bhoj Mukt VishwaVidhyalya	Ward No. 28	
	4. Yashoda Vihar	Ward No. 28	
	5. Shri Krishna Society	Ward No. 28	
	6. Amaltas Phase-III	Ward No. 28	
	7. P.H.E. Office	Ward No. 28	
	8. Swarn Jayanti Park	Ward No. 28	
	9. Ishwar Nagar Jhuggi		
Police Station Shahpura, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	10. Manisha Market	Ward No. 51	Police Station Chuna Bhatti, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.
	11. C-Sector Shahpura	Ward No. 51	
Police Station Kamla Nagar, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	12. P.H.E. Colony	Ward No. 28	Police Station Chuna Bhatti, Tehsil Hujur, Distt.Bhopal.
	13. P.H.E.Guest House	Ward No. 28	
	14. Sapre Chowki Balveer Nagar	Ward No. 28	
	15. Kolar Colony Jhuggi	Ward No. 28	
	16. Durga Nagar Chunabhatti	Ward No. 28	
	17. Dr. Govind Nagar Town	Ward No. 28	
	18. Chinarwoodland Somya Enclave Chuna Bhatti.	Ward No. 28	
	19. Janki Nagar Enclave	Ward No. 28	
	20. Comfort Garden, Surendra State, Chuna Bhatti.	Ward No. 28	
	21. Chuna Bhatti Village	Ward No. 28	
	22. Undar Vihar Parasper Colony	Ward No. 28	
	23. Parika Society Chanakyapuri	Ward No. 28	
	24. Bardhman, Deepak Society	Ward No. 28	
	25. Amaltas Phase-II Chuna Bhatti	Ward No. 28	
	26. Chhatrapati Shivaji Colony	Ward No. 28	
	27. Sagar Garden, Shanti Enclave	Ward No. 28	
	28. Amrakunj Kaliasout	Ward No. 28	
	29. P.H.E. Jhuggi Chuna Bhatti	Ward No. 28	
	30. Hills Kist Colony, Green Evenue.	Ward No. 28	
	31. Globus City, Shidhi Bhawan	Ward No. 28	
	32. Western Plaza, Castol,	Ward No. 28	
	33. Sterling, Green view Phase-I & II.	Ward No. 28	
	34. Shivaji Nagar Jhuggi	Ward No. 28	
	35. Kalia Sout Road	Ward No. 28	
	36. Unani Collage, Ayurvedic Collage.	Ward No. 28	
	37. Santeet Collage	Ward No. 28	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 579-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल.-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2013 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना अयोध्या नगर की स्थापना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

(एक) नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

(दो) सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/वार्ड क्रमांक (2)		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है (3)
पुलिस थाना पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	1. बसंत कुंज	वार्ड क्र. 63	पुलिस थाना अयोध्यानगर तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	2. वृन्दावन नगर	वार्ड क्र. 63	
	3. राज सम्राट	वार्ड क्र. 63	
	4. शंकर गार्डन	वार्ड क्र. 63	
	5. अभिनव होम्स फेस-1, 2, 3	वार्ड क्र. 63	
	6. अयोध्या एक्सटेंशन	वार्ड क्र. 63	
	7. अंहिसा बिहार	वार्ड क्र. 63	
	8. शिवकल्प कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	9. सागर एवेन्यू	वार्ड क्र. 63	
	10. इण्डस पार्क-फेस-1	वार्ड क्र. 63	
	11. इण्डस पार्क-फेस-2	वार्ड क्र. 63	
	12. रायल कम्फर्ट हेरीटेज	वार्ड क्र. 63	
	13. अमृत इन्कलेव	वार्ड क्र. 63	
	14. वर्धमान ग्रीन सिंह	वार्ड क्र. 63	
	15. अभिनव होम्स फेस-4	वार्ड क्र. 63	
	16. मारूति बिहार	वार्ड क्र. 63	
	17. श्रीराम केम्पस	वार्ड क्र. 63	
	18. नर्मदा होम्स	वार्ड क्र. 63	
	19. कान्ता श्रवण एस्टेट	वार्ड क्र. 63	
	20. दुर्गेश बिहार	वार्ड क्र. 63	
	21. मीनाल रेसीडेंसी ओल्ड	वार्ड क्र. 63	
	22. मीनाल रेसीडेंसी न्यू	वार्ड क्र. 63	
	23. सागर एस्टेट	वार्ड क्र. 63	
	24. भवानी टाऊन	वार्ड क्र. 63	
	25. भवानी धाम फेस-1	वार्ड क्र. 63	

(1)	(2)		(3)
पुलिस थाना पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	26.	गीत बंगला फेस-1, 2, 3	वार्ड क्र. 63	पुलिस थाना अयोध्यानगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	27.	छत्रपति नगर	वार्ड क्र. 63	
	28.	अर्चना कैम्पस	वार्ड क्र. 63	
	29.	काकडा अभिवन होम्स	वार्ड क्र. 63	
	30.	छत्रसाल नगर फेस-3	वार्ड क्र. 63	
	31.	इण्डस मुस्कान परिसर	वार्ड क्र. 63	
	32.	गीत गणेश	वार्ड क्र. 63	
	33.	साईधाम कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	34.	वेल्कम अपार्टमेन्ट	वार्ड क्र. 63	
	35.	अपूर्वा कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	36.	कार्गिल झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	37.	ग्राम नरेला शंकरी	वार्ड क्र. 63	
	38.	राजीव नगर ए,बी, सेक्टर	वार्ड क्र. 63	
	39.	भावना नगर	वार्ड क्र. 63	
	40.	झील नगर झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	41.	अर्जुन नगर झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	42.	संतोषी बिहार	वार्ड क्र. 63	
	43.	भवानी धाम फेस-2	वार्ड क्र. 63	
	44.	भवानी केम्पस	वार्ड क्र. 63	
	45.	श्रवण कांता	वार्ड क्र. 63	
	46.	श्रवण एस्टेट कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	47.	अयोध्यानगर A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, सेक्टर.	वार्ड क्र. 63	
	48.	अयोध्या नगर फेस-5	वार्ड क्र. 63	
	49.	ग्राम अरेडी	वार्ड क्र. 63	
	50.	इण्डस उमंग	वार्ड क्र. 63	
	51.	गीतमोहनी परिसर फेस-6	वार्ड क्र. 63	
	52.	शारदा नगर	वार्ड क्र. 63	
	53.	काकडा क्रेशर झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	54.	अभिनव कीर्ति होम्स	वार्ड क्र. 63	
	55.	आर्चेड ग्रीन	वार्ड क्र. 63	
	56.	सागर ग्रीन कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	57.	रायल रेवेन्यू	वार्ड क्र. 63	
	58.	शुक्ला क्रेशर झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	59.	एन. सेक्टर झुग्गी	वार्ड क्र. 63	
	60.	साई आर्बिट कालोनी	वार्ड क्र. 63	
	61.	गीत बंगला फेस-4	वार्ड क्र. 63	
	62.	सुरभि परिसर	वार्ड क्र. 63	
	63.	मयूरी परिसर	वार्ड क्र. 63	
	64.	सुनीता टावर	वार्ड क्र. 63	
	65.	इसरो संस्थान	वार्ड क्र. 63	
	66.	सागर कालेज परिसर	वार्ड क्र. 63	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 579-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल.-13..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 579-जेसी-1-भोपाल-2013, दिनांक 16 सितम्बर 2013 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal the 16th September 2013

No. 579-J.C.1-Collector-Bhopal-2013.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two, dated 11th October 2004 and number F-2(K)9/08/B-3/two, dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 16th September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station **Ayodhya Nagar** Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

1. Exclude form the police station mentioned in column (1) of the Table below the local areas specified in column (2) there of and

2. Includes the local areas specified in column (2) of the said Table in the police station mentioned in column (3) of the said Table.

TABLE

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excuded	LOCAL AREA			Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which included
		Name of Villages and Settlement No.	Ward No.	
(1)		(2)		(3)
Police Station Piplani, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	1.	Basant Kunj	Ward No. 63	Police Station Ayodhya Nagar, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.
	2.	Brindavan Nagar	Ward No. 63	
	3.	Raj Samrat	Ward No. 63	
	4.	Shankar Garden	Ward No. 63	
	5.	Abhinav Homes Phase-I, II,III	Ward No. 63	
	6.	Ayodhya Extension	Ward No. 63	
	7.	Ahinsha Vihar	Ward No. 63	
	8.	Shiv Kalp Colony	Ward No. 63	
	9.	Sagar Evenue	Ward No. 63	
	10.	Indus Park Phase-I	Ward No. 63	
	11.	Indus Park Phase-II	Ward No. 63	
	12.	Royal Comfort Heritez	Ward No. 63	
	13.	Amrit Enclave	Ward No. 63	
	14.	Vardhman Green City	Ward No. 63	
	15.	Abhinav Homes Phase-IV	Ward No. 63	
	16.	Maruti Vihar	Ward No. 63	
	17.	Shri Ram Campus	Ward No. 63	
	18.	Narmada Homes	Ward No. 63	
	19.	Kanta Shrawan Estate	Ward No. 63	
	20.	Durgesh Vihar	Ward No. 63	

(1)	(2)			(3)
Police Station Piplani, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	21.	Old Minal Residency	Ward No. 63	Police Station Ayodhya Nagar, Tehsil Hujur, Distt.Bhopal.
	22.	New Minal Residency	Ward No. 63	
	23.	Sagar Estate	Ward No. 63	
	24.	Bhavani Town	Ward No. 63	
	25.	Bhavani Dham Ph-I	Ward No. 63	
	26.	Geet Bangla Ph-I,II,III	Ward No. 63	
	27.	Chhatrapati Nagar	Ward No. 63	
	28.	Archna Campus	Ward No. 63	
	29.	Kakda Abhinav Homes	Ward No. 63	
	30.	Chhatrashal Nagar Ph-III	Ward No. 63	
	31.	Indus Muskan Parisar	Ward No. 63	
	32.	Geet Ganesh	Ward No. 63	
	33.	Sai Dham Colony	Ward No. 63	
	34.	Welcome Apartment	Ward No. 63	
	35.	Apoorva Colony	Ward No. 63	
	36.	Kargil Jhuggi	Ward No. 63	
	37.	Gram Narela Shankari	Ward No. 63	
	38.	Rajiv Nagar Sec.A and B	Ward No. 63	
	39.	Bhavana Nagar	Ward No. 63	
	40.	Jheel Nagar Jhuggi	Ward No. 63	
	41.	Arjun Nagar Jhuggi	Ward No. 63	
	42.	Santoshi Vihar	Ward No. 63	
	43.	Bhavani Dham Ph-II	Ward No. 63	
	44.	Bhavani Campus	Ward No. 63	
	45.	Shravan Kanta	Ward No. 63	
	46.	Shravan Estate Colony	Ward No. 63	
	47.	Ayodhya Nagar Sector-A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N	Ward No. 63	
	48.	Ayodhya Nagar Ph-V	Ward No. 63	
	49.	Gram Aredi	Ward No. 63	
	50.	Indus Umang	Ward No. 63	
	51.	Geet Mohni Parisar Ph-VI	Ward No. 63	
	52.	Sarda Nagar	Ward No. 63	
	53.	Kakda Craisher Jhuggi	Ward No. 63	
	54.	Abhinav Keerti Homes	Ward No. 63	
	55.	Archard Green	Ward No. 63	
	56.	Sagar Green Colony	Ward No. 63	
	57.	Royal Evenue	Ward No. 63	
	58.	Shukla Craisher Jhuggi	Ward No. 63	
	59.	N. Sector Jhuggi	Ward No. 63	
	60.	Sai Arbit Colony	Ward No. 63	
	61.	Geet Banglaw Ph-IV	Ward No. 63	
	62.	Shurbhi Parisar	Ward No. 63	
	63.	Mayuri parisar	Ward No. 63	
	64.	Sunita Towar	Ward No. 63	
	65.	ISRO Sansthan	Ward No. 63	
	66.	Sagar Collage Parisar	Ward No. 63	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 60-री.ए.डी.एम.-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपान्तरण करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—

मैं, जयश्री कियावत, जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए मोरडूण्डिया जो थाना रानापुर की तहसील रानापुर में है को पुलिस चौकी घोषित करती हूं और यह निर्देश देती हूं कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये थाने से अपवर्जित करते हुए नीचे वर्णित सारणी के कॉलम नं. (3) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र मोरडूण्डिया चौकी में सम्मिलित होंगे:—

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	थाना रानापुर, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ	1. मोरडूण्डिया
		2. ढंढोरी
		3. चिचवन
		4. माछलियाझीर
		5. छायनखुर्द
		6. खेडा (माछलिया)
		7. कहुडा
		8. करवांदी
		9. अन्धारवाड
		10. कडीया
		11. चुई
		12. सरदारपुरा बडा
		13. सरदारपुरा छोटा
		14. चारमाली

No. 60-री.ए.डी.एम.-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication

of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table belows the local areas specified in the column (3) thereof, and

Declares Out Post Mordundia to be a Out Post under (ii) Police Station Ranapur in Tehsil of Ranapur, District Jhabua and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table:—

S. No.	Name of Police Station (with Tahsil and (Distt.) from which excluded	Local areas Name of Village
(1)	(2)	(3)
1	Thana Ranapur, Tehsil Ranapur, District Jhabua	1. Mordundia
		2. Dandori
		3. Chichwan
		4. Machaliyajheer
		5. Chayankhurd
		6. Kheda-(Machaliya)
		7. Kahuda
		8. Karvandi
		9. Andharvad
		10. Kadiya
		11. Chuhi
		12. Sardarpura bada
		13. Sardarpura Chota
		14. Charmali

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.